भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-350

जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2022 को दिया जाना है ।

नई विद्युत परियोजनाएं

350. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल:
श्री नारणभाई काछड़िया:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा गांधीनगर और गुजरात के अन्य स्थानों पर बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नई विद्युत परियोजनाओं के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में प्रारंभ की गई निजी विद्युत परियोजनाओं की गुजरात सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गुजरात सहित देश में नई विद्युत परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

- विद्युत उत्पादन (परमाणु ऊर्जा को छोड़कर), पारेषण, वितरण और व्यापार की परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति है।
- विभिन्न प्रावधानों सहित उत्पादन के साथ-साथ पारेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 28.01.2016 को संशोधित टैरिफ नीति की अधिसूचना जारी करना।
- देश में विद्युत क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता को वापस लाने और उसके कारण निवेश आकर्षित करने के लिए विलंबित भुगतान अधिभार नियमों की अधिसूचना जारी करना। इन नियमों ने न केवल बकाया देय राशियों का परिसमापन सुनिश्चित किया है बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वर्तमान देय राशियों का भुगतान समय पर किया जाए।
- सभी डिस्कॉमों/विद्युत विभागों की प्रचालनात्मक क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार के लिए जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम शुरू की गई थी और इससे विद्युत क्षेत्र में निवेश बढ़ने की आशा है।
- ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए, दिनांक 30.06.2025 तक प्रारंभ होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन स्रोतों से उत्पादित विद्युत के पारेषण के लिए इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) प्रभारों से छूट प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, नई जलविद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत के पारेषण संबंधी आईएसटीएस प्रभार, उनके प्रारंभ होने की तारीख से 18 वर्ष के लिए छूट प्रदान की गई।
- हरित ऊर्जा के उत्पादन, खरीद और खपत को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 06.06.22 को हरित खुली पहुँच नियम, 2022 अधिसूचित किये गये हैं।

- बड़े पैमाने पर आरई परियोजनाओं की संस्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना की गई।

215 गीगावॉट की व्यस्ततम मांग के निमित्त, 408.7 गीगावॉट क्षमता पहले ही संस्थापित की जा चुकी है तथा 25,580 मेगावाट की ताप विद्युत क्षमता तथा 76,130 मेगावाट की आरई क्षमता की संस्थापना की जानी है। पूरे देश को एक एकीकृत ग्रिड से जोड़ा गया है जो 112 गीगावॉट विद्युत को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक अंतरित कर सकता है।

(ख) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान देश में कोयला आधारित कोई निजी विद्युत परियोजना शुरू नहीं की गई है। गत तीन वर्षों के दौरान देश में शुरू की गई निजी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति नीचे दी गई है:

(i) सीईए द्वारा संस्वीकृत और निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाएं:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1	कुटेहर एचईपी	हिमाचल प्रदेश	240
2	पिन्नापुरम पीएसपी	आंध्र प्रदेश	1200

(ii) सर्वेक्षण और जांचाधीन जलविद्युत परियोजनाएं:

क्रम सं.	स्टेशन का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	क्षमता (मेगावाट)
पारंपरिक जल विद्युत स्टेशन			
1	अंजॉ एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	270
2	डेमवे अपर स्टेज-I	अरुणाचल प्रदेश	270
3	एनआईएआरई	अरुणाचल प्रदेश	860
पम्प्ड भंडारण विद्युत परियोजना			
1	सुखपुरा ऑफ-स्ट्रीम	राजस्थान	2560
2	शाहपुर	राजस्थान	1800
3	एमपी 30 गांधी सागर	मध्य प्रदेश	1440
4	सौंदत्ती	कर्नाटक	1260
5	भावली	महाराष्ट्र	1500
6	कुरुकुट्टी	आंध्र प्रदेश	1200
7	करिवलसा	आंध्र प्रदेश	1000
8	गांदीकोटा	आंध्र प्रदेश	1000
9	चित्रावती	आंध्र प्रदेश	500

देश में अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए निजी क्षेत्र के विकासकर्ताओं द्वारा स्थापित की जा रही हैं। गत तीन वर्षों के दौरान आरई (बड़ी हाइड्रो को छोड़कर) में राज्यवार जोड़ी गई क्षमता नीचे दी गई है:

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल क्षमता अभिवृद्धि (मेगावाट)
1	आंध्र प्रदेश	1261.54
2	अरुणाचल प्रदेश	1.65
3	असम	89.47

4	बिहार	35.12
5	छत्तीसगढ़	138.31
6	गोवा	16.25
7	गुजरात	7880.18
8	हरियाणा	723.02
9	हिमाचल प्रदेश	141.74
10	जम्मू एवं कश्मीर	23.95
11	झारखंड	39.27
12	कर्नाटक	2024.39
13	केरल	236.49
14	लद्दाख	0
14	मध्य प्रदेश	839.01
15	महाराष्ट्र	1282.39
16	मणिपुर	4.04
17	मेघालय	0.3
18	मिजोरम	3.17
19	नागालैंड	0.2
20	ओडिशा	77.67
21	पंजाब	341.74
22	राजस्थान	9227.89
23	सिक्किम	2.8
24	तमिलनाडु	3368.12
25	तेलंगाना	958.83
26	त्रिपुरा	6.37
27	उत्तर प्रदेश	1245.66
28	उत्तराखंड	261.27
29	पश्चिम बंगाल	78.86
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	17.52
31	चंडीगढ़	19.65
32	दादरा एवं नगर हवेली	0
33	दमन एवं दीव	26.25
34	दिल्ली	89.77
35	लक्षद्वीप	0.13
36	पुद्दुचेरी	10.37
37	अन्य	0
	कुल	**30473.39**

****